

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
अधिघोषणा

सं०...../रा०,पटना/दिनांक


चूँके बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा-गढपुरा, थाना नं०-122, रा० थाना-बेगूसराय, परगना-मुसारी, जिला-बेगूसराय में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ऐतिहासिक नन्दक सत्याग्रह स्थल हेतु भू-अर्जन के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम गढपुरा, थाना नं०-122 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश बी०- x क०- x धुर- x है जो 0.71 एकड़ के बराबर होता है। और जिसका पूर्ण सर्वे खेसरा सं०- x तथा आंशिक सर्वे खेसरा सं०-3768 है और इसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर	सर्वे खेसरा सं० 3750
दक्षिण	पूर्व से प्राप्त दान की भूमि आंशिक खेसरा सं० 3768 तथा सर्वे खेसरा सं० 3773
पूर्व	नए निर्मित राहक
पश्चिम	आंशिक सर्वे खेसरा सं० 3768


भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, पत्थर, लोहा, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों को खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसमें निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग न लाना हो ले लिये जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा 6 एवं भू-अर्जन संशोधन अधिनियम 1984 के अधिन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय के कार्यालय में देखा जा सकता है।



समाहर्ता
बेगूसराय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



सरकार के अवर सचिव

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ से दैनिक समाचार पत्र, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ/प्रकाशन उपरान्त समाचार की प्रतिलिपि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय को प्राप्त कराने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, बेगूसराय को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता, बेगूसराय/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

